कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र।

पत्रांकःभ–107/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–14(जीएन) 566 दिनांकः जुलाई 7 2014,

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद नियोजक
नोएडा प्राधिकरण सेक्टर–6,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स लोजिक्स इन्फ्रा0 डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा स्पोर्ट सिटी लैण्ड–एस0सी0–01,/बी0, सेक्टर–150 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निमार्ण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

यूआईडीः 2014/1593/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/231/डीडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 02–07–2014 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–1–कुल प्लाट एरिया–40,880.51 वर्ग मी0।

2–भूतल कवर्ड एरिया–5,658.688 वर्ग मी0। जिसमे प्रस्तावित ब्लाक का विवरण निम्नवत हैः–

कमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	ऊँचाई मी0 मे
1	टावर –ए0	02बेस0, भूतल एवं 20 तल	436.794	390.673	62.850
2	टावर –बी0	02बेस0, भूतल एवं 21 तल	436.794	390.673	65.800
3	टावर –सी0,एफ0,जी0, एवं एच0,	02बेस0, भूतल एवं 22 तल	625.349 प्रत्येक 2501.396 कुल	585.961 प्रत्येक	68.750
4	टावर –डी	02बेस0, स्टिल्ट भूतल एवं 19 तल	427.596	323.858	56.950
5	टावर –ई0	02बेस0, स्टिल्ट भूतल एवं 19 तल	359.591	315.177	56.950
6	कम्यूनिटी	02बेस0,भूतल एवं प्रथम तल	471.631	462.604 / 433.137	5.695
7	कामर्शियल	02बेस0, भूतल एवं 20 तल	1024.886	958.657	68.700
8	क्लब	भूतल एवं प्रथम	471.631 / 471.631	–	5.695
8	प्रस्तावित डबल बेसमेन्ट लोअर/अपर बेसमेन्ट–26,365.960 वर्ग मी0 प्रत्येक तल।				

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग मिक्सड आक्यूपेन्सी आवासीय अपार्टमेन्ट एव कामर्शियल भवन (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4 एवं कामर्शिल) भवन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः– 1– पहुॅच मार्गः–भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 30 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2–प्रवेश द्वारः– प्रश्नगत भवन मे प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

3–सैटबेकः– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–16.00 मी0। **बी0**–पृष्ठ भाग–09.00 मी0। **सी0**–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मी0। **डी0**–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0 प्रस्तावित है। तथा प्रश्नगत प्लाट के सैटबेक मानकों के अनुसार है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3–निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02–02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 01.50 व 01.25 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4– रिफ्यूज एरियाः– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फा0 स0
मेरठ

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगत:–प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पस:–भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–टेरिस टैंक:–प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–होजरील:– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–वेटराईजर:– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टस:– प्रस्तावित भवन मे रिंग लाईन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:– प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेंक्शन:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–एग्जिट साईनेज:– सम्पूर्ण भवन के समस्त ब्लाको मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय

13–पी0ए0 सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त ब्लाको मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–हैलीपेड:– प्रश्नगत भवन मे हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0–10 के अनुपालन मे वॉच्छनीय है।

15–प्रशिक्षित स्टॉफ:– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

16–वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था:– प्रश्नगत भवन मे उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स लोजिक्स इन्फ्रा0 डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा स्पोर्ट सिटी लैण्ड–एस0सी0–01,/बी0, सेक्टर–150 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र   अदद।

(अमन शर्मा)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि:1–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–मैसर्स लोजिक्स इन्फ्रा0 डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा स्पोर्ट सिटी लैण्ड–एस0सी0–01,/बी0, सेक्टर–150 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ।